कार्यालय कलेक्टर जिला सतना म0प्र0

क्रमांक 63/20/नाजिर/18/ सतना, दिनांक 13.3.18

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये किराये पर वाहन लिये जाने हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सतना जिले में कलेक्टर कार्यालय सतना/अनुविभागीय अधिकारियों(राजस्व) /तहसीलदारों के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में मासिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 20.3.18 से 26.3.18 की सायं 5.00 बजे तक मुहर बंद निविदाएं कलेक्टर कार्यालय सतना में आमंत्रित की जाती हैं । निविदा की शर्तें एवं निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में दिनांक 20.3.18 से 26.3.18 तक (अवकाश के दिनों को छोडकर) कार्यालय कलेक्टर सतना नजारत शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं । प्राप्त निविदाएं दिनांक 27.3.18 को दोपहर 12.00 बजे कलेक्टर कार्यालय सतना के सभा कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी । निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । विज्ञापन एवं शर्तें व आवेदन का प्रारूप इत्यादि का विवरण बेवसाईट www.satna.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

कलेक्टर,
जिला सतना(म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर जिला सतना म0प्र0

क्रमांक63/20/नाजिर/18/ सतना, दिनांक 13.3.18

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये किराये पर वाहन प्रदाय किये जाने हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सतना जिले में कलेक्टर कार्यालय सतना/अनुविभागीय अधिकारियों(राजस्व) /तहसीलदारों के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में मासिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 20.3.18 से 26.3.18 की सायं 5.00 बजे तक मुहर बंद निविदाएं कलेक्टर कार्यालय सतना में आमंत्रित की जाती हैं । निविदा की शर्तें एवं निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में दिनांक 20.3.18 से अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालय कलेक्टर सतना नजारत शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं । प्राप्त निविदाएं दिनांक 27.3.18 को दोपहर 12.00 बजे कलेक्टर कार्यालय सतना के सभा कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी । निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । विज्ञापन एवं शर्तें व आवेदन का प्रारूप इत्यादि का विवरण बेवसाईट www.satna.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार हैं:–

1. फर्मों/संस्थाओं का व्यावसायिक वाहनों (टैक्सी कोटे) के परिचालन हेतु ट्रैवेल एजेंसी का वैध जीवित पंजीयन, सेवा कर सहित एवं जी0एस0टी0 होना अनिवार्य है ।
2. फर्म /संस्थाओं के स्थापना का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. फर्म का 03 वर्ष का शासकीय विभागों में वाहन लगाये जाने का कार्यानुभव होना अनिवार्य है । कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी कार्यानुभव की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे।
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्ष का औसत टर्न ओव्हर 30 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । इसका प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउटेंट से प्रमाणित कर एवं तीन वर्ष का बैंक स्टेटमेंट निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
5. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिये जायेंगे। वाहन में डीजल की खपत शासन द्वारा जारी एवरेज के मापदंड के अनुरूप होगी परंतु वाहन का एवरेज 10 कि0मी0 प्रति ली0 से कम नहीं होगा।
6. निविदा में वाहनवार एक्स यू बी, स्कार्पियो, इनोवा, बुलेरो एवं सफारी का मासिक किराया, दैनिक किराया, कि0मी0ए.सी/नान ए.सी., के मान से पृथक पृथक दरें प्रस्तुत की जायें। निविदा में वाहन की मासिक किराये की दरें वाहन चालक सहित एवं वाहन चालक रहित पृथक पृथक प्रस्तुत की जावें। वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में जिले में जारी कलेक्टर दर अनुसार कुशल वाहन चालक(श्रमिक) के लिये स्वीकृत दर पर वाहन किराया में से कटौती की जावेगी ।
7. किराये की अवधि में डीजल को छोडकर वाहन में अन्य सभी प्रकार के मरम्मत,टायर ट्यूब बैटरी आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन निविदाकार की होगी ।
8. वाहन चालक के पास नियमानुसार वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। वाहन का पंजीकरण, बीमा व वाहन से संबंधित अन्य सभी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज होना आवश्यक होगा । वाहन टैक्स तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा वाहन चालक के वेतन के साथ साथ समस्त खर्चे का वहन करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा ।
9. वाहन के मासिक किराये का भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा। शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमानुसार कर पृथक से देय होगे ।
10. वाहन वर्ष 2017 के पूर्व का पंजीकृत नहीं होना चाहिये ।

11. वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः 2 घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा । वाहन 2 घंटे से अधिक खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जायेगा ।

12. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जाया जा सकेगा ।
13. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन मे स्टेपनी चारो पहियों के टायर ट्यूब व माइलो मीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी ।
14. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं रहेगा ।
15. प्रत्येक निविदाकर्ता को फार्म के साथ 100000.00 एक लाख रूपये का एफ0डी0आर0 कलेक्टर सतना के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा जिनकी निविदा मान्य कर ली जावेगी उनकी एफ0डी0आर0 जमा की जावेगी एवं शेष की वापस कर दी जावेगी ।
16. निविदा फार्म कलेक्ट्रेट सतना के नजारत शाखा से 500.00 पांच सौ रूपये जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
17. वाहन किराये पर लेने के लिए वाहनों की संख्या समय समय पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जावेगी तथा वाहनों की मांग/आवश्यकता होने पर तुरंत निविदाकार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा । मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी ।
18. प्रत्येक निविदादाता को एक साथ दो भाग में निविदा प्रपत्र पृथक पृथक बंद लिफाफे में देने होंगे । निविदा प्रपत्र के एक भाग में निविदा का तकनीकी पक्ष सम्मिलित होगा, जिसमें नियम एवं शर्तों को पूरा करने की जानकारी, आवश्यक प्रमाणपत्र तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे । जबकि प्रपत्र का दूसरा भाग प्रतिस्पर्धात्मक दरों वित्तीय पक्ष से संबंधित होगा । तकनीकी पक्ष की जानकारी वाले लिफाफे पर तकनीकी पक्ष तथा वित्तीय पक्ष वाले लिफाफे पर वित्तीय पक्ष लिखना अनिवार्य होगा । तकनीकी निविदा से सभी शर्तों को पूरा करने पर प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में ही निविदादाता के वित्तीय पक्ष वाले प्रपत्र को निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जावेगा । जिस निविदादाता के तकनीकी पक्ष में कमियां अथवा विसंगतियां होंगी उनके निविदा प्रपत्र के वित्तीय पक्ष को प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
19. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
20. अपूर्ण/अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी ।
21. वाहन आवश्यकतानुसार किराए पर लिया जाएगा। आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय एकपक्षीय रूप से पृथक किया जा सकेगा ।
22. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला सतना का होगा।

कलेक्टर,
जिला सतना (म0प्र0)

निविदा प्रपत्र भाग एक

निविदा फार्म आवेदन का प्रारूप

1. फर्म का नाम . . . .

2. फर्म का पता . . . .

3. मोबाइल नं0 . .. .

4. फर्म के स्थापना का जीवित पंजीयन की प्रति . . . .

5. टैक्सी कोटे के परिचालन हेतु वैध पंजीयन की प्रति . . . .

6. जी0एस0 टी0 नं0 . . . .

7. शासकीय कार्यालयों में वाहन लगाने का तीन वर्षों का कार्यानुभव प्रमाण पत्र . . . .

8. तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर सी ए से प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट सहित . . . .

9. एफडी आर0 का विवरणः—

राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम	क्रमांक	दिनांक	राशि

आवेदक के हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र भाग दो

क्र0	वाहन का नाम	किराया (वाहन चालक सहित)				किराया (वाहन चालक रहित)			
		मासिक	दैनिक	प्रति कि0मी0		मासिक	दैनिक	प्रति कि0मी0	
				ए.सी.	नॉन ए.सी.			ए.सी.	नॉन ए.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एक्स यू व्ही								
2	स्कार्पियो								
3	इनोवा								
4	बुलेरो								
5	सफारी								